

PROMOTION POLICY

पदोन्नति नियमावली

NON TEACHING STAFF

शिक्षणोत्तर कार्मिक



ACHARYA NARENDRAD DEV UNIVERSITY OF

AGRICULTURE & TECHNOLOGY

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

KUMARGANJ, AYODHYA- U.P.-224229

कुमारगंज अयोध्या-उप्र०-224229 |

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षणेत्तर कार्मिकों हेतु लागू पदोन्नति नियमावली

विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर कार्मिकों हेतु कुलाधिपति के विधिक परामर्शदाता के पत्रांक-ई-6084 / जी.एस. दिनांक 12/19.11.1993 द्वारा लागू उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति नियमावली (समय-समय पर पुनरीक्षित) के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति का गठन करते हुए राज्य सरकार द्वारा सुजित गैर शैक्षणिक कार्मिकों की पदोन्नति उनके सीधी भर्ती के पद से पदोन्नति के पद पर की जाती है।

शिक्षणेत्तर कार्मिकों में अधोलिखित संवर्ग है।

समूह क	गैर शैक्षणिक संवर्ग
समूह ख	गैर शैक्षणिक संवर्ग
समूह ग	तकनीकी संवर्ग
	लिपिकीय संवर्ग (स्थापना / लेखा / भण्डार / आशुलिपिक)
	चालक संवर्ग
समूह घ	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग (सामान्य / तकनीकी)

उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली 1992 में निहित व्यवस्था के अनुरूप विश्वविद्यालय स्तर पर उक्त संवर्गों में पदोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति (डी०पी०सी) का गठन कर पदोन्नति के पदों पर वर्ष में दो बार बैठक आहूत कर रिक्त पदों पर कार्मिकों की पदोन्नति वरिष्ठता सूची के आधार पर पात्रता सूची बनाकर किये जाने का प्रावधान रखा गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन की व्यवस्था दिनांक 01.12.2008 से लागू होने के दृष्टिगत सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन देयता कमेटी की संस्तुति उपरान्त योगदान की तिथि से 10, 16 एवं 26 वर्षों की सन्तोषजनक सेवा पूर्व करने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन प्रदान किया जाता है।

पदोन्नति

सरकारी सेवक को, सेवा नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप, उच्च पद या उच्च वेतनमान में पदोन्नति का अवसर उपलब्ध रहता है। विधि का प्रचलित सिद्धान्त है कि सरकारी सेवक को पदोन्नति के लिए विचार किये जाने का अधिकार प्राप्त होता है, पदोन्नत होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा है कि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार सिर्फ कानूनी अधिकार ही नहीं है, बल्कि यह मूल अधिकार है। अतः पदोन्नति सरकारी सेवक का अधिकार नहीं है किन्तु पदोन्नति के लिए विचार किया जाना उसका मूल अधिकार है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उच्च पद पर प्रोन्नति के लिए, सामान्यतया, निम्नलिखित दो सिद्धान्तों में से किसी एक को अपनाया जाता है।

- (1) अर्ह कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता (ज्येष्ठता - सह - मेरिट)।
- (2) अर्ह कार्मिकों की तुलनात्मक मेरिट (मेरिट - सह - ज्येष्ठता)।

प्रथम सिद्धान्त द्वारा यह अपेक्षित है कि प्रोन्नति के लिए चयन अभ्यर्थी की उपयुक्तता अध्यधीन ज्येष्ठता के आधार पर किया जाता है। ऐसी स्थिति में कोई अधिकारी सिर्फ अपनी ज्येष्ठता के आधार पर अधिकारस्वरूप प्रोन्नति की मांग नहीं कर सकता है, यदि उसे प्रोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया जाए तो उसे छोड़ते हुए उससे कनिष्ठ अधिकारी को प्रोन्नत किया जा सकता है।

मेरिट – सह ज्येष्ठता के उक्त चर्चित दूसरे सिद्धान्त द्वारा अभ्यर्थियों की मेरिट एवं योग्यता पर अधिक बल दिया जाता है तथा ज्येष्ठता की भूमिका कम रहती है। जब दो या अधिक अभ्यर्थियों की मेरिट एवं योग्यता लगभग समान हो सिर्फ तभी, ज्येष्ठता निर्णयक भूमिका अदा करती है।

संबंधित सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुरूप चयन समिति या विभागीय प्रोन्नति समिति या लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी सेवक की पदोन्नति पर विचार करते समय निम्नलिखित में से कोई एक मानदंड, जो भी नियमावली में उपबन्धित हो, अपनाया जाता छे—

(1) ज्येष्ठता, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए,

अथवा

(2) श्रेष्ठता या योग्यता ।

यद्यपि इन दोनों मानदंडों में ज्येष्ठता के अनुसार ही विचार किया जाता है, परन्तु जबमानदंड श्रेष्ठता हो तो सरकारी सेवक की गुणवत्ता प्रमुख भूमिका निभाती है।

अनुपयुक्तता एवं श्रेष्ठता, दोनों का निर्धारण सरकारी सेवक के सेवा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया जाता है। जिस सरकारी सेवक के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि हो अथवा जिसे दंडित किया गया हो, वह अनुपयुक्त की श्रेणी में आएगा। अतः सिर्फ अच्छाकोटि का सरकारी सेवक भी उपयुक्त है एवं प्रथम मानदंड के अनुसार पदोन्नत होने योग्य है, किन्तु “श्रेष्ठता के मानदंड” के अनुसार, अच्छा, उत्तम, अतिउत्तम एवं उत्कृष्ट श्रेणी के सेवकों में से श्रेष्ठतम् अर्थात् उत्कृष्ट श्रेणी के सेवक ही पदोन्नत होने योग्य हैं ।

पदोन्नति का प्रथम मानदंड अपनाना हो तो ज्येष्ठता सूची में जिस क्रम में सेवकों के नाम हैं उसी क्रम प्रत्येक सेवक की सेवा – अभिलेख पर विचार किया जाएगा। यदि उसकी सेवा संतोषजनक रही हो अर्थात् कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न हो एवं उसे दंडित न किया गया हो तो उसे पदोन्नत कर दिया जाएगा।

जब पदोन्नति का दूसरा मानदंड अपनाना हो तो ज्येष्ठता सूची के क्रमानुसार सेवकों के सेवा – अभिलेख पर विचार करके यह अभिनिश्चित किया जाएगा कि उनमें से श्रेष्ठतम् कौन है ? जो सेवक श्रेष्ठ हो उन्हें ही पदोन्नत किया जाएगा ।

उदाहरणस्वरूप—एक निदेशालय में पाँच उपनिदेशकों में से दो को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जाना है। ज्येष्ठता क्रम में उपनिदेशकों के नाम एवं सेवा—अभिलेख के आधार पर उनकी कोटि इस प्रकार है—

(1) श्री श्रीराम..... उत्कृष्ट

(2) श्री रघुवर.....प्रतिकूल प्रविष्टि

(3) श्री कृष्ण.....अच्छा

(4) श्री विष्णु..... उत्कृष्ट

(5) श्री कन्हैया.....अति उत्तम

यदि पदोन्नति का मानदंड "ज्येष्ठता, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए हो तो श्रीराम एवं श्री कृष्ण को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। यद्यपि श्री रघुवर, श्रीकृष्ण से ज्येष्ठ हैं, किन्तु प्रतिकूल प्रविष्टि के कारण वह पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त है, अतः उन्हें स्वीकार करते हुए उनसे कनिष्ठ एवं उपयुक्त उप-निदेशक श्रीकृष्ण को पदोन्नत किया जाएगा।

यदि पदोन्नति का मानदंड श्रेष्ठता हो तो श्रीराम एवं श्री विष्णु को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। यद्यपि श्री रघुवर एवं श्री कृष्ण, श्री विष्णु से, ज्येष्ठ हैं परन्तु सेवा-अभिलेख के आधार पर श्री विष्णु इन दोनों से श्रेष्ठ हैं। अतः श्री विष्णु को ही पदोन्नतकिया जाएगा।

सरकारी सेवकों की प्रोन्नति निम्नलिखित में से किसी एक स्वतंत्र संस्था से चयन कराकर की जाती है—

1. लोक सेवा आयोग

या

2. विभागीय प्रोन्नति समिति ।

1. विभागीय प्रोन्नति समिति.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमावली, 1954 के विनियम – 6 के अनुसार प्रोन्नति के कुछ मामलों में लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 6 का उपबन्ध, जैसा कि सन् 1997 में चौदहवां संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित है, निम्नवत् है

"6. पदोन्नति पदोन्नतियां करने में या पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों के सम्बन्ध में निम्नलिखित मामलों में, आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा, अर्थात्—

(क) समूह ग के उन पदों पर, जिनकी सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, पदोन्नतियां करने में या एक अराजपत्रित पद से दूसरे अराजपत्रित पद पर पदोन्नतियां करने में ।

(ख) समूह ग के पदों से समूह ष्वष के पदों पर या एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पद पर जहाँ भर्ती का एकमात्र स्रोत पदोन्नति हो, पदोन्नतियां करने में।

अतएव, पदोन्नति के निम्नलिखित मामलों में लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है—

(1) जब समूह "ग" के ऐसे पद पर पदोन्नति करनी हो जिस पद पर सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से न की जाती हो, या

(2) जब एक अराजपत्रित पद से दूसरे अराजपत्रित पद पर पदोन्नति की जानी हो, या

(3) जब समूह ग के पद से समूह ष्वष के पद पर पदोन्नति की जानी हो, जहाँ भर्ती का स्रोत सिर्फ पदोन्नति ही हो,

(4) जब एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पद पर पदोन्नति की जानी हो, जहां भर्ती का स्रोत सिर्फ पदोन्नति ही हो ।

उदाहरण.— (1) उत्तर प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ लिपिक टंकक पद पर सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, अतः कनिष्ठ लिपिक (समूह 'ग') के पद पर समूह घ के सेवकों को प्रोन्नत करना हो तो आयोग से परामर्श नहीं किया जाएगा ।

परन्तु प्रवर वर्ग सहायक (समूह 'ग') के पद पर सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है, अतः इस पद पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती, आयोग के परामर्श से की जाएगी ।

(2) उत्तर प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ लिपिक, टंकक एवं अवर वर्ग सहायक के पद अराजपत्रित पद है, इनमें से किसी पद पर सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है। अतः कनिष्ठ लिपिक या टंकक को अवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नत करना हो तो आयोग से परामर्श नहीं किया जाएगा ।

(3) उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक का पद समूह 'ग' का पद है। अनुभाग अधिकारी का पद समूह 'ख' का पद है। अनुभाग अधिकारी के पद पर सिर्फ पदोन्नति द्वारा भर्ती का उपबन्ध है। अतः प्रवर वर्ग सहायक को अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नत करना हो तो आयोग से परामर्श नहीं किया जाएगा ।

भाग – 2

पदोन्नति के लिए मानदण्ड

5. पदोन्नति के लिए मानदण्ड. — (1) यदि किसी सेवा नियमावली में, 'सर्वथा योग्यता' (स्ट्रिकट मेरिट) अथवा मुख्य रूप के योग्यता (प्राइमरीली आन मेरिट) या "समस्त पात्रता क्षेत्र से योग्यतानुसार कड़ाई से चयन (रिजर्व सेलेक्शन आन मेरिट फ्राम द होल फील्ड आफ एलीजीविलिटी) अथवा "सर्वथा योग्यतानुसार या योग्यता समान होने की दशा में ज्येष्ठता की गणनीयता या किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त ऐसे ही किसी अन्य मानदण्ड की व्यवस्था हो, जिससे कि पदोन्नति हेतु चयन करने में योग्यता को आधार मानने पर मुख्यतया बल दिया जाये तो इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर और उसके पश्चात् "योग्यता" (मेरिट के मानदण्ड का पालन किया जायेगा ।

(2) यदि किसी सेवा नियमावली में या तो "ज्येष्ठता" (सीनियारिटी) अथवा ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) या "अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता"(सीनियारिटी सब्जेक्ट टु द रिजेक्शन आफ अनफिट) अथवा किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त ऐसे ही किसी अन्य मानदण्ड की व्यवस्था हो जिससे कि पदोन्नति हेतु चयन करने में ज्येष्ठता को आधार मानने का मुख्यतया बल दिया जाये तो इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर और इसके पश्चात् अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए "ज्येष्ठता" (सीनियारिटी सब्जेक्ट टु द रिजेक्शन ऑफ अनफिट) के मानदण्ड का पालन किया जायेगा ।

ऐसे समस्त मामलों में जहाँ कोई भी सेवा नियमावली विद्यमान न हो अथवा जिस सेवा नियमावली में स्पष्टतया यह निर्धारित न हो कि उपनियम (1) तथा (2) में पदोन्नति के लिए (3) उल्लिखित दो

मानदण्डों में से किस मानदण्ड का अनुसरण किया जायेगा तो उस दशा में उक्त दोनों मानदण्डों में से राज्यपाल द्वारा, आयोग के परामर्श से निर्धारित मानदण्ड का अनुसरण किया जायेगा।

6. पात्रता की अन्य शर्तें (1) इस नियमावली की किसी बात से, आयु, शैक्षिक अथवा प्राविधिक अर्हताओं, अनुभव का प्रकार अथवा सेवा की अवधि से सम्बद्ध पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तों के सम्बन्ध में किसी सेवा नियमावली के किसी उपबन्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिवाय उस सीमा तक कि वह संगत दिनांक, जिसके अभिदेश में यह समझा जाये कि अभ्यर्थी ने ऐसी शर्तें पूरी कर ती हैं, भर्ती का वर्ष प्रारम्भ होने का दिनांक होगा।

(2) सेवा नियमावली में उपर्युक्त पात्रता की शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी उपबन्ध के न होने पर, उक्त शर्तें ऐसी होंगी जिन्हें राज्यपाल आयोग के परामर्श से अवधारित करें।

भाग-3

योग्यता के मानदण्ड से पदोन्नति की प्रक्रिया

7. इस भाग का लागू होना— यदि नियम 5 के उपबन्धों के आधार पर योग्यता के मानदण्ड पदोन्नति करता हो तो इस भाग में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा ।

1 (7-क. (निकाल दिया गया)

1 (7 – ख. (निकाल दिया गया)

2 (8. पात्रता सूची तैयार करना कृ नियुक्ति प्राधिकारी, प्रत्येक श्रेणी, अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग-अलग तीन सूचियों उक्त श्रेणी उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए, तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची जायेंगे। आठ नाम रखे प्रतिवन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिये, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जानी हो तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के अनुभाग के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए, यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे—

1 से 5 तक रिक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5,

5 से अधिक रिक्तियों के लिए — रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10

परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है किन्तु यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अपनी ज्येष्ठता के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने का हकदार है, तो ऐसा व्यक्तियों भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा ।

(2) इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करने के लिए नियम 8 के परन्तुक में दिये गये उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(3) भाग-3 में विहित शेष प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित इस भाग के अधीन की गयी पदोन्नति पर लागू होंगी, सिवाय इसके कि भाग-3 में निर्दिष्ट चयन सूची, चयन समिति द्वारा अनुप्रयुक्त व्यक्तियों को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता क्रम में तैयार की जायेगी ।

1 (9. आयोग को सूचियाँ भेजना कृ नियुक्ति प्राधिकारी पात्रता की सीमा में जाने वाले समस्त व्यक्तियों को पदक्रम सूची तथा पात्रता की सूची या सूचियाँ और उसमें या उनमें सम्मिलित अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियाँ

आयोग को प्रेषित करेगा और भर्ती के प्रत्येक वर्ष की, जिसके लिए चयन प्रस्तावित है, रिक्तियों की संख्या भी आयोग को सूचित करेगा ।

10. पात्रता की सूची का पुनरीक्षण — यदि किसी मामले में आयोग को यह प्रतीत हो कि नियम 9 के अधीन उसे प्राप्त सूची या सूचियों में सम्मिलित नामों में से अपेक्षित संख्या में उपर्युक्त अभ्यर्थी प्राप्त न हो सकेंगे तो वह नियुक्ति प्राधिकारी से उतनी अधिक संख्या में ज्येष्ठतम् अथवा सभी, पात्र अभ्यर्थियों के नाम और चरित्र पंजियाँ उसमें सम्मिलित करने के लिए कह सकता है जिन्हें वह उचित समझे, और नियुक्ति प्राधिकारी तदनुसार नियम 8 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उक्त सूची या सूचियों को पुनरीक्षित करेगा ।

11. चयन समिति –नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति संघटित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(1) आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला उसका अध्यक्ष या सदस्य, समिति का अध्यक्ष हो गया ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारीय तथा

(3) उसी विभाग या किसी अन्य विभाग का सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई ज्येष्ठ अधिकारी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्यपाल नियुक्ति प्राधिकारी हों तो समान्यतया उक्त विभाग का विभागाध्यक्ष इस खण्ड के अधीन नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ।

12. चयन के लिये दिनांक निश्चित करना – (1) नियुक्ति प्राधिकारी आयोग के परामर्श से चयन के लिए दिनांक निश्चित करेगा –

प्रतिबन्ध यह है कि चयन–कार्य एक या उससे अधिक दिनों तक किया जा सकता है ।

(2) यदि आयोग का नियुक्ति प्राधिकारी यह आवश्यक समझे कि पात्रता की सूची या सूचियों में समाविष्ट समस्त या किसी भी अभ्यर्थी का साक्षात्कार, चयन समिति द्वारा किया जाना चाहिए तो नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे अभ्यर्थियों को उक्त के लिए उपर्युक्त दिनांक या दिनांकों पर बुलायेगा ।

(3) चयन समिति प्रत्येक मामले में अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों पर विचार करेगी और किसी अन्य बात पर भी विचार कर सकती है जो उसकी राय में संगत हो ।

13. चयन सूची – चयन समिति योग्यता के अनुसार एक सूची अर्थात् चयन जिसमें नियम) के अधीन आयोग को सूचित की गयी रिक्तियों के प्रति मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के लिए सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के नाम होंगे ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिए, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जाय तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बन्ध में चयन उस वर्ष के लिए तैयार की गयी पात्रता सूची से किया जायेगा । ऐसी दशा में, किसी वर्ष की रिक्तियों के प्रति चुने गये अभ्यर्थियों के नाम थास्थिति पद के वर्ष का वर्षों की पात्रता सूची या सूचियों में से, द्वितीय और अनुवर्ती में पात्रता सूचियों से चयन करने के पूर्व निकाल दिये जायेंगे ।

14. आयोग का अनुमोदन आयोग, चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और तत्पश्चात् यथा अनुमोदित चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा ।

15. ज्येष्ठता क्रम से चयन सूची का फिर से क्रमबद्ध किया जाना . – नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता क्रम से चयन सूची को फिर से क्रमबद्ध करेगा ।

16. चयन सूची से नियुक्ति – चयन सूची में समिलित अभ्यर्थियों को नियम 9 के अधीन आयोग को यथा अधिसूचित रिक्तियों के प्रति उस क्रम में नियुक्त किया जाएगा जिस क्रम में नियम 15 के अधीन फिर से क्रमबद्ध की गयी सूची में उनके नाम आये हों ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि मौलिक रूप से नियुक्त सरकारी सेवक संतोष प्रदान करने में विफल रहा है तो वह उसे कोई कारण बताये बिना उस पद पर जिससे पदोन्नत किया गया है, प्रत्यावर्तित कर सकता है।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि भर्ती के किसी वर्ष की चयन सूची का उपयोग भर्ती के उसी वर्ष की रिक्तियों के लिए किया जायेगा ।

भाग-4

पदोन्नति की प्रक्रिया

यदि अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता मानदण्ड हो

20. इस भाग का लागू होना. – यदि नियम 5 के उपबन्धों के आधार पर अनुपयुक्त व्यक्तियों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के मानदण्ड से पदोन्नति की जानी हो, तो इस भाग में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा

21. पात्रता सूची तैयार करना – (1) नियम – 22 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक अनुभाग से अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग-अलग तीन सूचियाँ, जिसे ज्येष्ठतम पात्र अधिकारियों की पात्रता सूचियाँ कहा जायेगा, तैयार करेगा जिसमें उक्त प्रत्येक अनुभाग के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए, यथा संभव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे :–

1 से 5 तक. – रिक्तियों की संख्या का दुगना किन्तु कम से कम 5,

5 से अधिक रिक्तियों के लिए – रिक्तियों की संख्या का छेद गुना किन्तु कम से कम 10,

नियम – 8 का प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड और स्पष्टीकरण यथावश्यक परिवर्तन सहित इस नियम पर लागू होंगे ।

(2) भाग तीन में विहित शेष प्रक्रिया यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस भाग के अधीन की गयी पदोन्नति पर लागू होगी सिवाय इसके कि भाग तीन में अभिदिष्ट चयन सूची, चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता क्रम में तैयार की जायेगी ।

22. कुछ मामलों में चयन समिति संघटित न करने का अधिकार कृ नियम 21 में किसी बात के हुए भी यदि किसी दशा में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या कम हो, और नियुक्ति प्राधिकारी का यह विचार हो कि ज्येष्ठतम अभ्यर्थी या अभ्यर्थीगण पदोन्नति के लिए पूर्णतः योग्य है और तदनुसार कोई अतिक्रमण नहीं होता है, तो आयोग, यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी के विचार से सहमत हो, प्रस्ताव का सीधे अनुमोदन कर सकता है । उस दशा में कोई भी चयन समिति संघटित करने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार अनुमोदित अभ्यर्थी या अभ्यर्थीगण पदोन्नति के लिए यथाविधि चयन किये गये समझे जायेंगे ।

पूर्वोक्त नियमावली में मानदण्ड के आधार पर पदोन्नति की अलग-अलग प्रक्रिया विहित है

(ii) योग्यता के मानदण्ड से पदोन्नति की प्रक्रिया – यदि संबंधित सेवा नियमावली में पदोन्नति का मानदण्ड योग्यता हो तो नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नियमानुसार अहं एवं पात्र अभ्यर्थियों की अलग-अलग तीन सूचियाँ, प्रत्येक वर्ग के लिए उपलब्ध रिक्तियों

को ध्यान में रखकर तैयार करेंगे। प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के सापेक्ष रिक्तियों की संख्या के तीन गुना, किन्तु कम से कम आठ नाम प्रत्येक पात्रता सूची में रखे जाएंगे।

यदि रिक्तियां, एक भर्ती वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के लिए पृथक—पृथक पात्रता सूचियाँ तैयार की जाएंगी। ऐसे मामले में, द्वितीय या अनुवर्ती भर्ती वर्ष के लिये पात्रता सूचियाँ तैयार करते समय, उन सूचियों में सम्मिलित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत होगी :—

(क) द्वितीय वर्ष के निमित्त उक्त अनुपात के अनुसार संख्या एवं प्रथम वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग

(ख) तृतीय वर्ष के निमित्त उक्त अनुपात के अनुसार संख्या एवं प्रथम और द्वितीय वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग
और इसी प्रकार आगे भी ।

उक्त अनुपात की गणना करने में उन अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिन्हें पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझा जाए। उनके नाम के सामने इस आशय की टिप्पणी लिख दीजायेगी ।

इस ढंग से तैयार की गयी सूची “ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कहलायेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी, ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करने के उपरान्त निम्नलिखित अभिलेख लोक सेवा आयोग को प्रेषित करेंगे—

- (1) सभी अर्ह एवं पात्र अभ्यर्थियों की पदक्रम सूची,
- (2) तीनों पात्रता सूचियाँ,
- (3) पात्र अभ्यर्थियों की चरित्र – पंजियाँ, एवं
- (4) भर्ती के प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों की संख्या ।

यदि आयोग को ऐसा प्रतीत हो कि उपलब्ध सूचियों में से अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अर्थी नहीं मिल सकेंगे तो वह नियुक्ति प्राधिकारी से उचित संख्या में ज्येष्ठतम अथवा सभी पात्र अभ्यर्थियों के नाम, एवं उनकी चरित्र पंजियाँ, उन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए कह सकता है। तदुपरान्त नियुक्ति प्राधिकारी, पात्रता सूचियों को पुनरीक्षित करेगा ।

ज्येष्ठतम अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियाँ अथवा पुनरीक्षित पात्रता सूची उपलब्ध कराने के उपरान्त, नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति गठित करेंगे, जिनमें निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:-

1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य (समिति का अध्यक्ष होगा) ।
2. नियुक्ति प्राधिकारी,
3. संबंधित विभाग का कोई ज्येष्ठ अधिकारी (शासन द्वारा नामित) अथवा किसी अन्य विभाग का कोई ज्येष्ठ अधिकारी (शासन द्वारा नामित) ।

किन्तु राज्यपाल ही नियुक्ति प्राधिकारी हो तो उक्त विभाग के विभागाध्यक्ष को नामित कियाजाएगा।

नियुक्ति प्राधिकारी चयन के लिए कोई तिथि, आयोग के परामर्श से निश्चित करेगा। चयन समिति अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों पर विचार करेगी तथा किसी अन्य बात पर भी विचार कर सकेगी जो उसकी राय में संगत हो । चयन समिति अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। चयन समिति, योग्यता के अनुसार चयन सूची तैयार करेगी जिसमें प्रोन्नति के लिए संस्तुत किए गए अभ्यर्थियों के नाम होंगे। लोक सेवा आयोग चयन सूची एवं उसमें समाविष्ट चयन भेजेगा, जो चयन सूची को ज्येष्ठता क्रम में फिर से क्रमबद्ध करेगा तथा इसी क्रम में, अधिसूचित समिति की संस्तुतियों पर विचार करेगा एवं यथा अनुमोदित चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को रिक्तियों के प्रति अभ्यर्थियों को प्रोन्नत करेगा ।

(iii) ज्येष्ठता के मानदण्ड से पदोन्नति की प्रक्रिया— यदि संबंधित सेवा नियमावली में पदोन्नति का मानदण्ड “अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता” हो तो नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग-अलग तीन सूचियां, प्रत्येक वर्ग के लिए उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखकर तैयार करेंगे। प्रत्येक वर्ग के लिए उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित अनुपात में, नाम प्रत्येक पात्रता सूची में रखे जाएंगे :—

(1) एक से पांच रिक्तियों के लिए रु रिक्तियों की संख्या का दुगना किन्तु कम से कम पाँच ।

(2) छ: से अधिक रिक्तियों के लिए रु रिक्तियों की संख्या का ढेढ़ गुना किन्तु कम से कम दस ।

यदि रिक्तियां, एक भर्ती वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हों तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के लिए पृथक-पृथक पात्रता सूचियां तैयार की जाएंगी। ऐसे मामले में, द्वितीय या अनुवर्ती भर्ती वर्ष के लिए पात्रता सूचियां तैयार करते समय, उन सूचियों में सम्मिलित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत होगी रु—

(क) द्वितीय वर्ष के निमित्त उक्त अनुपात के अनुसार संख्या एवं प्रथम वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग ।

(ख) तृतीय वर्ष के निमित्त उक्त अनुपात के अनुसार संख्या एवं प्रथम और द्वितीय वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार आगे भी ।

उक्त अनुपात की गणना करने में उन अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिन्हें पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझा जाए। उनके नाम के सामने इस आशय की टिप्पणी लिख दी जाएगी।

इस ढंग से तैयार की गयी सूची में ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कहलाएगी।

नियुक्ति प्राधिकारी, पात्रता सूची तैयार करने के उपरान्त, अभिलेखों को लोक सेवा आयोग को भेजने एवं चयन समिति गठित करने संबंधी वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो योग्यता के मानदण्ड से प्रोन्नति करने के मामले में अपनायी जाती है। चयन समिति, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता क्रम में चयन सूची तैयार करेगी, जिसमें प्रोन्नति के लिए संस्तुत किए गए अभ्यर्थियों के नाम होंगे। लोक सेवा आयोग चयन सूची पर विचार करके यथा — अनुमोदित चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा, जो उसी क्रम में, अधिसूचित रिक्तियों के प्रति, अभ्यर्थियों को प्रोन्नत करेगा।

- विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से—राज्याधीन सेवाओं में जिन पदों पर प्रोन्नति के लिए लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है उन पदों पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन कराया जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमावली, 1956 के विनियम-6 में बताया गया है कि प्रोन्नति के किन मामलों में लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। अतः प्रोन्नति के जो मामले विनियम-6 से आच्छादित हैं, उनमें विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से चयन कराकर प्रोन्नति की जाएगी।

ज्येष्ठता

सरकारी सेवा में “ज्येष्ठता” का बहुत महत्व होता है। विधि का यह प्रचलित सिद्धान्त है कि सरकारी सेवक की ज्येष्ठता, उसकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से, निर्धारित की जाएगी। अतः सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता उनकी नियुक्ति के समय ही निर्धारित कर दी जानी चाहिए। नियमित चयन के उपरान्त की गयी मौलिक नियुक्ति में तो, सामान्यतः ज्येष्ठता निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि ऐसे चयन के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची गुणावगुण के आधार पर तैयार की जाती है एवं तदनुरूप ही नियुक्ति की जाती है। ऐसे सेवकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उसी क्रम में रहती है जिस क्रम में चयन—सूची में उनके नाम उल्लिखित हों। ज्येष्ठता निर्धारण की समस्या तब उत्पन्न होती है जब तदर्थ नियुक्तियां की गयी हों अथवा सेवा में भर्ती के दो या अधिक स्रोत हों।

उच्चतम न्यायालय¹ ने कहा है कि ज्येष्ठता, सेवा की एक घटना है एवं जब सेवा नियमावली में इसकी गणना का ढंग विहित कर दिया गया हो तब यह सिर्फ उन्हीं नियमों से शासित होगी। नियमों के अभाव में, सामान्यतया, लगातार सेवा अवधि को इस हेतु विचार में लिया जाएगा।

अतः तब ज्येष्ठता नियमावली विद्यमान हों, जिसमें ज्येष्ठता निर्धारित करने का ढंग विहित हों, तब उन्हीं नियमों का अनुसरण करना चाहिए।²

उच्चतम न्यायालय³ ने अवधारणा किया है कि किसी भी कर्मचारी को अपनी ज्येष्ठता उन नियमों के अनुरूप अवधारित कराने का अधिकार प्राप्त होता है जो उसके संवर्ग में आने के समय लागू थे। अर्थात् जब संवर्ग में उसकी नियुक्ति हुई तब लागू नियमों के अनुरूप उसकी ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी। किसी संशोधित मानदंड व नियमों के आधार पर संवर्ग में उसकी ज्येष्ठता के पुनर्निर्धारण का प्रश्न सिर्फ तभी उठेगा जब उस संशोधन की पूर्वगामी प्रभाव दिया गया हो। यदि उस नियम के पूर्वगामी प्रभाव को किसी कर्मचारी द्वारा चुनौती दी जाती है तब न्यायाल, विधि के अनुरूप, उसकी परीक्षण करके निर्णय करेगा। यदि न्यायालय नियम की पूर्वगामिता को, अंततः विखंडित कर देता है तब संशोधित नियम के उपबंधों के अन्तर्गत ज्येष्ठता के पुनर्निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठेगा। किंतु न्यायालय नियम की पूर्वगामिता को वैध होना ठहराये तब संवर्ग में “विद्यमान” कार्मिकों की ज्येष्ठता, संशोधित नियमों के अनुरूप, पुनर्निर्धारित की जा सकती है, जो कर्मचारी पहले ही किसी अन्य संवर्ग में, उस तिथि तक, प्रोन्नति प्राप्त कर चुके हों उनकी ज्येष्ठता पुनर्निर्धारित नहीं की जा सकेगी।

1. कानूनी उपबन्ध—उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता निर्धारित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 प्रवृत्त है, जिसके उपबन्ध निम्नवत है—

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991

भाग—एक

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. लागू होना—यह नियमावली उन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी जिनकी भर्ती और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन नियमावली बनाई जायेगी या बनाई जा चुकी है।

2. अध्यारोही प्रभाव—यह नियमावली इससे पूर्व बनाई गई किसी अन्य सेवा नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।

4. परिभाषाएँ—जब कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में—

(क) किसी सेवा के सम्बन्ध में “नियुक्त प्राधिकारी” का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन ऐसी सेवा में नियुक्तियां करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) “संवर्ग” का तात्पर्य किसी सेवा की सदस्य संख्या, या किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा के किसी भाग से है;

(ग) “आयोग” का तात्पर्य यथास्थिति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(घ) “समिति” का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए चयन करने हेतु गठित समिति से है;

(ङ.) “पोषक संवर्ग” का तात्पर्य सेवा के उस संवर्ग से है जिसके सदस्यों में से सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन उच्चतर सेवा या पर पर पदोन्नति की जाय।

(च) “सेवा” का तात्पर्य उस सेवा से है जिसमें सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता अवधारित की जानी है;

(छ) “सेवा नियमावली” का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाई गई नियमावली से है और जो ऐसी नियमावली न हो वहाँ सुसंगत सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों से है;

(ज) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पर पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा से सम्बन्धित सेवा नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गई है;

(झ) “वर्ष” का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग—दो

ज्येष्ठता का अवधारण

5. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियाँ की जाए— जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियों केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हो वहाँ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखाई गई है।

अध्याय—14

प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पर का उसे प्रस्ताव किये जाने पर यह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधि मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गये व्यक्तियों से कनिष्ठ रहेंगे।

स्पष्टीकरण—जब एक ही वर्ष में नियमित और आपात भर्ती के लिए पृथक—पृथक चयन किए जाएं तो नियमित भर्ती के लिए किया गया चयन पूर्ववर्ती चयन माना जायेगा।

6. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्तियों की जाए—जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियों केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो पोषक संवर्ग में थी।

स्पष्टीकरण—पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात् की गई हो, उस संवर्ग में जिसमें उनकी पदोन्नति की जाय, अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी।

7. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब कई पोषक संवर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा नियुक्तियों की जाए—जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियों एक से अधिक पोषक संवर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा की जानी हो यहाँ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके अपने—अपने पोषक संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण—जहाँ पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हों, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ पोषक संवर्ग के वेतनमान भिन्न हों तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्ति निम्नतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे।

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चात्‌वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे।

8. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जाय,— जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हों वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उप नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाएं तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गए हैं:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा:

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है कि यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर यह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप—(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी, जैसे यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो,

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, नियम 6 या नियम 7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

(3) जहाँ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जायं यहाँ पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहाँ तक हो सके दोनों स्त्रों के लिए विहित कोटा के अनुसार चकानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जाएगी।

दृष्टान्त—(1) जहाँ पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1:1 के अनुपात में हो वहाँ ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी—

प्रथम	—	पदोन्नति व्यक्ति
द्वितीय	—	सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

(1) जहाँ उक्त कोटा 1:3 के अनुपात में हो वहाँ ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी—

प्रथम — पदोन्नति व्यक्ति

द्वितीय से चतुर्थ तक — सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति

पॉचवा — पदोन्नत व्यक्ति

छँठा से आठवाँ — सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी प्रतिबन्ध यह है कि—

(एक) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से अधिक की जाये, वहाँ कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियाँ हो।

(दो) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से कम हो, और ऐसी न भी गई-रिक्तियों के प्रति नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाएं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेगे किन्तु यह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेगे जिसमें उनकी नियुक्तियाँ की जाएं किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चकानुक्रम में रखे जायेंगे।

(तीन) जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्रोत से बिना भरी गई रिक्तियाँ अन्य स्रोत से भरी जाएं और कोटा से अधिक नियुक्तियाँ की जाये वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानो वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किए गए हों।

8-क अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को परिणामिक ज्येष्ठता की हकदार—इस नियमावली के नियम 6,7 या 8 में किसी बात के होते हुए भी, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई व्यक्ति आरक्षण/रोस्टर के नियम के आधार पर, अपनी पदोन्नति पर पारिणामिक ज्येष्ठता का भी हकदार होगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के परिणामस्वरूप, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न श्रेणी के व्यक्ति को बाद में पदोन्नत होने पर पूर्व में पदोन्नत हुए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से ज्येष्ठता सूची में कनिष्ठ रखे जाएंगे, भले ही पदोन्नति आरक्षण नियम के आधार पर हुई हो।

भाग—तीन

ज्येष्ठता सूची

9. ज्येष्ठता सूची का तैयार किया जाना—(1) सेवा में नियुक्तियां होने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र नियुक्त प्राधिकारी इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की एक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को सम्बन्धित व्यक्तियों में आपत्तियां आमन्त्रित करते हुए युक्तियुक्त अवधि का नोटिस देकर, जो अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन के दिनांक से कम से कम सात दिन की होगी, परिचालित किया जायेगा।

(3) इस नियमावली की शक्तिमत्ता या विधिमान्यता के विरुद्ध कोई आपत्ति ग्रहण नहीं की जायगी।

(4) नियुक्त प्राधिकारी युक्तिसंगत आदेश द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात् अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करेगा।

(5) उस संवर्ग की जिसमें नियुक्तियां एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जाय, ज्येष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होगा।

ज्येष्ठता नियमावली के पूर्वोक्त उपबन्धों से ज्येष्ठता निर्धारण के सिद्धान्त सुस्पष्ट एवं निश्चित हो गये है। यह नियमावली इससे पूर्व की सेवा नियमावलियों के उपबन्धों पर अभिभावी है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवक की सेवा नियमावली में ज्येष्ठता निर्धारा का कोई अन्यथा उपबन्ध रहा हो तो भी उसकी ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के पूर्व चर्चित उपबन्धों के अनुसार निर्धारित की जाएगी, किन्तु दिनांक 20.3.91 के पश्चात् किसी सेवा नियमावली में ज्येष्ठता निर्धारण का कोई अन्यथा उपबन्ध किया गया हो तो उसी उपबन्ध के अनुरूप ज्येष्ठता निर्धारित की जाएगी। “उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता, वर्ष 1991 की ज्येष्ठता नियमावली के अनुरूप निम्नलिखित ढंग से निर्धारित की जाएगी”

(1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता का निर्धारण— जब सेवा नियमावली में किसी पद पर सिर्फ सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त करने का उपबन्ध हो तो किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये सरकारी सेवकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वहीं होगी जो चयन सूची में दर्शित हो। पश्चात् चर्त्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये सरकारी सेवक पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त सरकारी सेवकों से कनिष्ठ होंगे। यदि एक ही वर्ष में नियमित एवं आपात—भर्ती के लिए अलग—अलग चयन किये गये हों तो नियमित भर्ती के लिए किया गया चयन, पूर्ववर्ती चयन माना जाएगा तथा उस चयन के फलस्वरूप नियुक्त सेवक ज्येष्ठ होंगे।

जब तदर्थ नियुक्ति की गयी हो तो संगत विनियमितीकरण नियमावली अथवा संगत सेवा नियमावली के अधीन तदर्थ सेवकों की नियमित नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जाएगी। यदि

एक ही तिथि को कई तदर्थ सेवकों का विनियमितीकरण हुआ हो तो नियमित नियुक्ति के आदेश में जिस क्रम में उनके नाम अवस्थित हो, उसी क्रम में उनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(2) सिर्फ एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता का निर्धारण— जब एक ही पोषक संवर्ग के सेवकों को उच्च पद पर, पदोन्नति द्वारा, नियुक्त किया गया हो तो उच्च पद पर नियुक्त सेवकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वहीं होगी जो पोषक संवर्ग में थी। यदि पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ सेवक की पदोन्नति से पूर्व उससे कनिष्ठ सेवक को पदोन्नत कर दिया गया हो तो ज्येष्ठ सेवक पदोन्नत होने पर पुनः वही ज्येष्ठता प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी।

(3) अनेक पोषक संवर्गों से सिर्फ पदोन्नति द्वारा नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता का निर्धारण—(क) जब सेवा नियमावली में दो या अधिक पोषक संवर्गों से सिर्फ पदोन्नति द्वारा नियुक्त करने का उपबन्ध हो तब किसी एक चयन के परिणामस्वरूप पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उस तिर्थ के आधार पर निर्धारित की जाएगी जिस तिथि को वे सेवक अपने—अपने पोषक संवर्ग में मौलिक रूप से नियुक्त हुए थे।

(ख) यदि पोषक संवर्ग में वेतनमान भिन्न-भिन्न रहा हो तो मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर ज्येष्ठता का निर्धारण नहीं किया जाएगा, अपितु पोषक संवर्ग के वेतनमान के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जाएगी। पोषयक संवर्ग में जिस सेवक का वेतनमान उच्चतर रहा हो वही ज्येष्ठ होगा।

(ग) किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, पश्चात्वर्ती, चयन के परिणामस्वरूप पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा। अतः अलग-अलग चयन के परिणामस्वरूप पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की दशा में ज्येष्ठता के निर्धारण के लिए पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि या वेतनमान आधार नहीं होगा।

(4) सीधी भर्ती तथा पदोन्नति, दो स्रोतों, द्वारा नियुक्त व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण—जब सेवा नियमावली में किसी पर पर सीधी भर्ती तथा पदोन्नति, दोनों स्रोतों, द्वारा नियुक्ति करने का उपबन्ध हो तब इन दोनों स्रोतों से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश की तिथि से निम्नलिखित ढंग से निर्धारित की जाएगी—

(क) यदि एक ही साथ दो या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त किया गया हो तो जिस क्रम में नियुक्त आदेश में उनके नाम रखे गये हैं उसी क्रम में उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की जाएगी।

(ख) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति की पारस्परिक ज्येष्ठता वहीं रहेगी जो लोक सेवा आयोग अथवा चयन समिति द्वारा तैयार की गयी “योग्यता सूची” में दिखायी गयी हो।

(ग) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता, यथास्थिति, एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता निर्धारण, अथवा अनेक पोषक संवर्गों से पदोन्नति द्वारा नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता निर्धारण, के पूर्व चर्चित सिद्धान्तों के अनुरूप निर्धारित की जाएगी।

(घ) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप पदोन्नति तथा सीधी भर्ती, दोनों स्रोतों से, नियुक्तिया की जाएं तो नियुक्त किये गये व्यक्तियों के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चकानुक्रम में किया जायेगा। इस चकानुक्रम में प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा।

उदाहरण—जब पदोन्नत एवं सीधी भर्ती का कोटा 1:3, अनुपात में हो तो ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में निर्धारित की जाएगी।

प्रथम	– पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय	– सीधी भर्ती वाला व्यक्ति
तृतीय	– सीधी भर्ती वाला व्यक्ति
चतुर्थ	– सीधी भर्ती वाला व्यक्ति
पंचम	– पदोन्नत व्यक्ति
षष्ठम्	– सीधी भर्ती वाला व्यक्ति
सप्तम	– सीधी भर्ती वाला व्यक्ति
अष्टम	– सीधी भर्ती वाला व्यक्ति
नवम	– पदोन्नत व्यक्ति

(5) जब किसी स्रोत से विहित कोटा से कम या अधिक नियुक्तियां की गयी हो तो ज्येष्ठता का निर्धारण निम्नलिखित ढंग से किया जायेगा—

(क) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जाय वहाँ कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियाँ हो।

(ख) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हो, और ऐसी न भरी गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियाँ वर्ष या वर्षों में की जाय वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे, किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियाँ की जाय किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्तियों के नाम चकानुक्रम में रखे जायेंगे।

(ग) जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवानियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्रोत से बिना भरी गयी रिक्तियाँ अन्य स्रोत से भरी जाय और कोटा से अधिक नियुक्तियां की जाय वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानो वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किये गये हों।

2- ज्येष्ठता निर्धारण के सिद्धान्त- उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयजविधियों द्वारा प्रतिपादित ज्येष्ठता निर्धारण के सुप्रतिष्ठित सिद्धान्त निम्नवत है:-

1— मौलिक नियुक्ति, चाहे स्थायी पद पर हो अथवा अस्थायी पद पर ,की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित होगी

- 2— नियमानुसार की गयी नियुक्ति अर्थात् मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता का निर्धारण किया जायेगा । तदर्थ सेवक की ज्येष्ठता , नियमानुसार नियमित चयन के उपरान्त नियुक्ति की तिथि से आगणित की जायेगी ।
- 3— जब कोई व्यक्ति किसी पद पर नियमानुसार नियुक्त किया जाय तो उसकी ज्येष्ठता उसकी नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जायेगी, उसके स्थायीकरण की तिथि से नहीं ।
- 4— ज्येष्ठता का आगणन, नियुक्ति की तिथि से किया जायेगी, पद ग्रहण करने की तिथि से नहीं ।
- 5— ज्येष्ठता निर्धारण के लिए स्थानापन्न अवधि को आगणित नहीं किया जायेगा ।
- 6— जब कई चयन हुये हो तब उसके फलस्वरूप नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता चयन की तिथि से नियत की जायेगी । जो व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के फलस्वरूप नियुक्त किये गये हो, वे पश्चातवर्ती चयन के फलस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे ।
- 7— एक व्यक्ति का चयन , सीधी भर्ती द्वारा , सन 1977 में हो गया था लेकिन उसे , उसकी किसी गलती के बिना, सन 1983 में नियुक्त किया गया । उच्चतम न्यायालय में अवधारणा किया कि सन 1977 की चयन सूची के अनुसार ज्येष्ठता पायेगा ।
- 8— पूर्ववर्ती चयन में असफल अभ्यर्थियों को , पश्चातवर्ती चयन में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के उपरान्त , नियुक्त कर दिये जाने पर वे , पश्चातवर्ती चयन वाले अभ्यर्थियों के उपर ज्येष्ठता नहीं प्राप्त कर सकते हैं ।
- 9— नियमों में नियत प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना की गयी तदर्थ नियुक्ति के उपरान्त तदर्थ सेवक का नियमित चयन हो जाने पर तदर्थ सेवक की सेवा अवधि की ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं किया जायेगा ।
- 10— जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति तदर्थ ढंग से हुई हो, नियमानुसार न हुई हो तथा अल्पकालिक व्यवस्था के लिए की गयी हो तब ऐसे पद पर स्थानापन्न अवधि की ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं किया जायेगा ।¹
- 11— तदर्थ ढंग से या स्थानापन्न रूप से की गयी नियुक्ति या प्रोन्नति की अवधि को ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं किया जा सकता है । तदर्थ सेवकों की ज्येष्ठता का आगणन ,उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से किया जायेगा ।²
- 12— पूर्वगामी तिथि से नियुक्ति करके “काल्पनिक ज्येष्ठता ” प्रदान करना अवैध है, विशेषकर जब इसके परिणामस्वरूप सेवा में विद्यमान व्यक्तियों की ज्येष्ठता प्रभावित होती हो ।³
- 13— सरकारी सेवा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने का नियम,ज्येष्ठता प्रदान नहीं करता है ।⁴
- 14— प्रोन्नति के मामले में ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक प्रोन्नति की तिथि से होगा, स्थानापन्न प्रोन्नति की तिथि से नहीं⁵
- 15— स्थानापन्न प्रोन्नति की निरन्तरता में चयन के उपरान्त नियमित प्रोन्नति होने की दशा में ज्येष्ठता उस तिथि से आगणित की जाएगी। जिस तिथि को चयन समिति ने नियमानुसार चयन सूची में उसका नाम रखा ।⁶
- 16— जब किसी सेवा में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति , दोनो, द्वारा भर्ती का प्रावधान हो तथा सीधी भर्ती के कोटा के पदो पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती कर ली गयी हो, तो प्रोन्नत सेवाको की ज्येष्ठता उस पश्चातवर्ती तिथि से आगणित की जाएगी जिस तिथि को पदोन्नति के कोटा में पद उपलब्ध हो जाए । सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सेवक को उसके कोटा के पद की उपलब्धता के आधार पर पहले से ज्येष्ठता मिल जाएगी ।

- 18— एक संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के उपरान्त ,पदोन्नति द्वारा भर्ती करते समय पूर्वगामी तिथि से पदोन्नत किया गया तथा उन्हें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सेवाके से ज्येष्ठ कर दिया गया, जबकि उस पूर्व तिथि को वे संवर्ग में थे ही नहीं । उच्चतम न्यायालय ने अवधारण किया कि प्रोन्नत सेवको को ज्येष्ठ बनाना गलत है,जब वे संवर्ग में थे ही नहीं तो उन्हें पूर्वगामी तिथि से प्रोन्नत नहीं किया जा सकता था ।¹
- 19— “क” को सहायक निदेशक के पद पर दिनांक 27—9—80 को तदर्थ ढंग से प्रोन्नत किया गया था । “ख” को सहायक निदेशक के पद पर लोक सेवा आयोग के चयन के उपरान्त सीधी भर्ती द्वारा दिनांक 29—9—80 को नियुक्त किया गया था । उच्चतम न्यायालय ने कि “ख” को “क”से ज्येष्ठ माना जाएगा ।²
- 20— यदि आरक्षित वर्ग का सेवा , आरक्षण के कारण ,सामान्य वर्ग के अपने से ज्येष्ठ सेवक से पहले , उच्च पद पर प्रोन्नत हुआ हो तो जब वह ज्येष्ठ सेवक उस पद पर प्रोन्नत हागा तो वह अपनी ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा³ ।
- 21— ज्येष्ठता का विनिश्चय करने के लिए सम्पूर्ण सेवा अवधि सुसंगत नहीं होती है ,बल्कि एक विशिष्ट वर्ग , प्रवर्ग या ग्रेड में की गयी सेवा अवधि ज्येष्ठता निर्धारण के लिए सुसंगत होती है । दूसरे शब्दों में पैतृक विभाग मे समतुल्य पद धारण किये होने की अवधि ज्येष्ठता निर्धारण के प्रयोजनार्थ सुसंगत अवधि है ।⁴
- 22— जब कोई सरकारी सेवक कोई विशिष्ट पदधारण कर रहा हो तथा उसे किसी अन्य सरकारी विभाग में उसी या उसके समान पद पर अंतरित कर दिया जाए तब अंतरण से पूर्व की गयी सेवा अवधि के अंतरण के पश्चात् धारित पद पर ज्येष्ठता अवधारित करने पर विचार मे लिया जाएगा । सेवा अंतरण उसकी पूर्व सेवा अवधि को समाप्त नहीं कर सकता है । जहां विभिन्न स्रोतों से कार्मिकों को भर्ती करके एक नयी सेवा बनायी गयी हो वहां उन कार्मिकों के पैतृक विभाग में उनके द्वारा की गयी सेवा को नये सेवा संवर्ग में ज्येष्ठता आगणित करते समय विचार में लिया जाएगा ।¹
- 25— प्रतिनियुक्ति पर जाने मात्र से सेवक, मूल विभाग मे अपनी ज्येष्ठता को नहीं खोता है, उसकी ज्येष्ठता यथावत नहीं रहेगी ।¹
- 26— ज्येष्ठता निर्धारण का कोई नियम या प्रशासनिक निर्देश न हो तो “निरन्तर सेवा काल” के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जाएगी ।²
- 27—किसी संवर्ग में कर्मचारियों की ज्येष्ठता नियमों के अनुरूप अवधारित की जाएगी यदि उन नियमों में ज्येष्ठता के बारे में उपबन्ध हो, अन्यथा डायरेक्ट रिकूट क्लास—।। इंजीनियरिंग आफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (1990) 2 एस0सी0सी0 715 मे प्रतिपादित सिद्धान्तों पर ज्येष्ठता अवधारित की जा सकती है ।³
- 28— किसी कर्मचारी को संवर्ग में अपनी ज्येष्ठता ,अपनी नियुक्ति की तिथि को प्रवृत्त नियमो के अनुसार , अवधारित कराने का अधिकार प्राप्त होता है ।⁴ कर्मचारीगण की ज्येष्ठता,बार—बार ,जब कभी ज्येष्ठता निर्धारण का मानदंड परिवर्तित होवे, पुर्णनिर्धारित नहीं की जाएगी ।⁵
- 29—ज्येष्ठता में मनमाना परिवर्तन करने से संविधान के अनुच्छेद 16 एवं सरकारी सेवक के सिविल अधिकार का अतिक्रमण होता है ।⁶
- 30— यदि किसी सेवा—संवर्ग में, कोटा के आधार पर भर्ती के दो स्रोत हो तो कार्मिकों को पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण कोटा के अनुरूप किया जायेगा ।⁷
यह सिद्धान्त उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली ,1991 के नियम 8 के उप नियम(3) मे उदाहरण सहित अंगीकृत है ।

33— राम गनेश त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पाकि (केन्द्रीयकृत) सेवा नियमावली ,1966 के संगत नियमों के संदर्भ में अवधारणा किया है कि ऐसे तदर्थ कर्मचारियों को , जिन्हें लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के उपरान्त विनियमित किया जाए, नियमित ढंग से नियुक्त व्यक्तियों से ज्येष्ठ नहीं किया जा सका है। तदर्थ कर्मचारियों की ज्येष्ठता उनके विनियमितीकरण की तिथि से अवधारित की जाएगी ।

तदर्थ नियुक्ति नियमानुसार की गयी नियमित नहीं होती है ,अतः ऐसी नियुक्ति के आधार पर की गयी अस्थायी सेवा को ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं किया जा सकता है³

मध्य प्रदेश में सहायक निदेशक, उद्योग के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से तथा 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने का नियम था। दिनांक 27-9-80 को तदर्थ रूप से प्रोन्नति देकर कृष्ण व्यक्तियों को सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त कर दिया गया जबकि लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा , दिनांक 29-9-80 को नियुक्त किया गया । उच्चतम न्यायालय⁴ ने कहाकि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति, तदर्थ रूप से प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों से,ज्येष्ठ होंगे ।

34— भारतीय खाद्य निगम बनाम थानेश्वर कालिता एवं अन्य में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि नियुक्तियां नियमानुसार की गयी हो, भले ही आरभ में तदर्थ आधार पर की गयी हो, एवं लम्बी अवधि तक जारी रखी गयी हो तो उनकी सेवा का विनियमितीकरण करने पर अस्थायी सेवा की सम्पूर्ण अवधि , ज्येष्ठता के लिए आगणित की जाएगी । यदि विहित कोटा से अधिक नियुक्तियां की गयी हो तब अस्थायी /स्थानापन्नता की अवधि को ज्येष्ठता के लिए आगणित नहीं किया जाएगा तथा जो व्यक्ति विहित कोटा से अधिक संख्या में नियुक्त किये गये हैं वे ज्येष्ठता के लिए , सम्पूर्ण सेवा अवधि की गणना कराने के हकदार नहीं होंगे ।

पूर्वोक्त निर्णयजविधि से प्रकट होता है कि तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये कार्मिक की ज्येष्ठता निर्धारित करते समय अस्थायी/स्थानापन्न सेवा अवधि को, निम्नलिखित शर्तें पूर्ण होने पर ,आगणित किया जाएगा—

- (1) उसकी नियुक्ति नियमानुसार हुई हो,
- (2) उसकी नियुक्ति विहित कोटा के अन्दर हुई हो,
- (3) वह कार्मिक लम्बी अवधि तक तदनुसार कार्यरत रहा हो,
- (4) उसकी तदर्थ सेवा को विनियमित कर दिया गया हो ।

35— केशव देव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में , श्री केशव देव व अन्य लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्त किये गये थे। दिनांक 30-5-८७९ को उन्हें तदर्थ आधार पर , प्रोन्नति के लिए विहित कोटा के अन्दर , सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया गया था। विभागीय प्रान्नति समिति द्वारा चयन कराने के उपरान्त उनकी उक्त चर्चित पदोन्नति की गयी थी। आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 9-8-79 को सीधे सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्त किया गया था। श्री केशव देव से कनिष्ठ कुद्र प्रोन्नत सहायक अभियन्तागण को वर्ष 1980 में आयोग के समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था, किन्तु केशव देव को नहीं बुलाया गया। जब वर्ष 1984 में साक्षात्कार हुआ जब उन्हें बुलाया गया एवं आयोग ने उनकी प्रोन्नति को अनुमोदित करके उन्हें चयनित कर लिया । तत्पश्चात उन्हें सहायक अभियन्ता के रूप में स्थायी कर दिया गया । ऐसी परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय ने इन प्रोन्नत सहायक अभियन्तागण को उक्त चर्चित प्रोन्नतियों की आरम्भिक तिथि से अर्थात् निरन्तर स्थानापन्नता की अवधि को जोड़ते हुए ज्येष्ठता अवधारण को उचित ठहराया ।

अतः यदि पदोन्नति , विहित कोटा के अन्दर अन्तरिम व्यवस्था के लिए या तदर्थ रूप से नियमानुसार चयन के उपरान्त की गयी हो एवं उसके पश्चात उसे आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो तो उस

व्यक्ति की ज्येष्ठता उसकी तदर्थ प्रोन्नति की तिथि से आगणित की जाएगी, अर्थात् निरन्तर स्थानापन्नता की अवधि को भी जोड़ा जाएगा , जब तक कि नियमों में अन्यथा व्यवस्था न हो।

36— एल० चन्द्र किशोर सिंह बनाम मणिपुर राज्य^२ में प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती से नियुक्त पुलिस अधिकारीगण की ज्येष्ठता का विवाद था, जिसके संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि स्थानापन्न या परिवीक्षा पर की गयी नियुक्तियों को संपुष्ट कर देने पर निरन्तर स्थानापन्न अवधि की सेवा की , ज्येष्ठता निर्धारण करते समय, उपेक्षा नहीं की जा सकती है, जब तक कि सेवा नियमों में इसके प्रतिकूल उपबन्ध न हो। जहाँ विहित प्रक्रिया का अनुसरण किये बगैर प्रथम नियुक्त कर ली गयी हो एवं बाद में ऐसी नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया जाए, अथवा संपुष्ट कर दिया जाए तब सम्पूर्ण सेवा अवधि को ज्येष्ठता निर्धारण करते समय आगणित किया जाएगा ।

37— सुरज प्रकाश गुप्ता बनाम जम्मू कश्मीर राज्य^३में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी नवीनतम निर्णयजविधि से यह स्पष्ट है कि तदर्थ अथवा स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत सेवकों की नियमित प्रोन्नति होने पर , सीधी भर्ती से नियुक्त किये गये सेवकों के साथ, ज्येष्ठता निर्धारण निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा

- (i) जब प्रोन्नत कोटा के सापेक्ष तदर्थ अथवा स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत सेवकों की लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित प्रोन्नति कर दी जाए अथवा विभागीय चयन समिति के माध्यम से उनकी तदर्थ प्रोन्नति को विनियमित कर दिया जाए तब ऐसी नियमित प्रोन्नति को उस पूर्ववर्ती तिथि से जोड़ा जा सकता है जिस तिथि को प्रोन्नत कोटा में रिकित हुई थी। इस प्रकार प्रोन्नत सेवकों की ज्येष्ठता उनकी नियमित प्रोन्नति की उक्त चर्चित पूर्ववर्ती तिथि से आगणित की जाएगी। सीधी भर्ती से नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता उनकी नियमित अर्थात् अधिष्ठीय नियुक्ति की तिथि से आगणित की जाएगी।
- (ii) जब प्रोन्नत कोटा से अधिक सेवकों को तदर्थ अथवा स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत किया गया हो जब प्रोन्नत कोटा में उनके लिए हुई पश्चातवर्ती रिकित के सापेक्ष उनका विनियमितीकरण किया जाएगा । प्रोन्नत कोटा में जिस तिथि को रिकित हुई हो उससे पूर्व की सेवा अवधि जोड़ी नहीं जाएगी अर्थात् ज्येष्ठता के लिए आगणित नहीं की जाएगी ।
- (iii) यद्यपि प्रोन्नत कोटा के सापेक्ष तदर्थ अथवा स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत की गयी हो किन्तु वह सेवक प्रोन्नति के लिए अर्ह ही न हरा हो तब प्रोन्नति की ऐसी सेवा अवधि भी ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं की जायेगी ।
- (iv) तदर्थ अथवा स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत सेवक जितनी अवधि तक नियमित प्रोन्नति के लिए उपयुक्त न पाया गया हो वह सेवा अवधि भी ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं की जाएगी ।
- (v) सीधी भर्ती के कोटा के सापेक्ष प्रोन्नत सेवा की नियमित सेवा भी ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं की जाएगी ।

ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी निर्णयजविधियों का सार निम्नवत है:-

- (1) जहाँ सिर्फ सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति का उपबन्ध हो वहाँ,
 - (क) सीधी भर्ती द्वारा नियमानुसार चयन के उपरान्त नियुक्त किये गये व्यक्ति की ज्येष्ठता उसकी नियुक्ति की तिथि से आगणित की जाएगी ।

- (ख) सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये व्यक्ति की ज्येष्ठता उसके विनियमितीकरण अथवा नियमित नियुक्ति की तिथि से आगणित की जाएगी ।
- (2) जहाँ सिर्फ पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का उपबन्ध हो वहाँ,
- (क) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति की ज्येष्ठता उनकी नियमित पदोन्नति की तिथि से आगणित की जाएगी ।
- (ख) तदर्थ रूप से पदोन्नति किये गये व्यक्तियों की ज्येष्ठता उसके विनियमितीकरण या नियमित पदोन्नति की तिथि से आगणित की जाएगी ।
- (3) जहाँ सीधी भर्ती एवं पदोन्नतिदोनो स्रोतों से , नियुक्ति का उपबन्ध हो वहाँ,
- (क) संबंधित स्रोत के लिए विहित कोटा के अन्दर की एक ही भर्ती वर्ष की रिक्तियों के प्रति दोनों स्रोतों से नियमित ढंग से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता कोआ के अनुरूप , नियुक्ति के क्रमानुसार , अवधारित की जाएगी ।
- (ख) यदि पदोन्नति ,विहित कोटा के अन्दर अन्तरिम व्यवस्था के लिए या तदर्थ रूप से , नियमानुसार चयन के उपरान्त की गयी हो एवं उसके पश्चात उसे आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए तब ऐसी नियमित प्रोन्नति को उस पूर्ववर्ती तिथि से जोड़ा जा सकता है, जिस तिथि को प्रोन्नति कोटा में रिक्ति हुई थी, तत्पश्चात् उस व्यक्ति की ज्येष्ठता उसकी तदर्थ प्रोन्नति की तिथि से आगणित की जाएगी ,अर्थात निरन्तर स्थानान्तर की अवधि को भी जोड़ा जाएगा, जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हो ऐसी तदर्थ प्रोन्नति के पश्चत सीधी भर्ती से नियुक्त सेवक , प्रोन्नत सेवक से कनिष्ठ होंगे ।
- (ग) यदि पदोन्नति विहित कोटा के बाहर की रिक्ति के प्रति किसी ढंग से हुई हो तो उस व्यक्ति की ज्येष्ठता उस तिथि से आगणित की जाएगी जिस तिथि को पदोन्नति के लिए विहित कोटा में उसके लिए रिक्ति उपलब्ध हो जाए ।
- (घ) यदि तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिए अर्ह ही न रहा हो तो प्रोन्नति की ऐसी अवधि भी ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं की जायेगी ।
- (ड.) यदि पदोन्नति तदर्थ रूप से , नियमों के अनुसार चयन किये बगैर , की गयी हो तब उस व्यक्ति की ज्येष्ठता उसके विनियमितीकरण की तिथि अथवा आयोग द्वारा नियमित चयन के उपरान्त नियुक्ति की तिथि से ही आगणित की जाएगी ।
- (च) सीधी भर्ती से नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता उनकी नियमित अर्थात मौलिक नियुक्ति की तिथि से आगणित की जाएगी। तदर्थ ढंग से , सीधी भर्ती द्वारा , नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं की जायेगी ।
- (च) सीधी भर्ती से नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता उनकी नियमित अर्थात मौलिक नियुक्ति की तिथि से आगणित की जाएगी। तदर्थ ढंग से , सीधी भर्ती द्वारा , नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं की जायेगी ।
- (छ) सीधी भर्ती से नियुक्त सेवक उस तिथि से ज्येष्ठता की मांग नहीं कर सकता है जिस तिथि से वह सेवा में आया ही नहीं था ।

3- ज्येष्ठता सूची :- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की एक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची बनायी जायेगी। यह ज्येष्ठता सूची पूर्व चर्चित ज्येष्ठता नियमावली के सुसंगत उपबंधों के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारित करते हुए बनायी जायेगी यह सूची संबंधित व्यक्तियों को संसूचित करते हुए , उनसे आपत्तियां ,यदि कोई हो, आमंत्रित की जायेगी । आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु कम से कम सात दिन का समय प्रदान किया जायेगा । नियुक्ति प्राधिकारी , सकारण आदेश द्वारा, इन आपत्तियों का निस्तारण करने के उपरान्त अंतिम ज्येष्ठता सूची जारी करेंगे ।

